



2026:AHC:18106

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 360 वर्ष 2026

विश्वंभर दयाल मिश्रा

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनुराग शुक्ला, कार्तिकेय शंकर पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग शुक्ला और राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी.के. श्रीवास्तव की बात सुनी।

2. यह याचिका निम्नलिखित राहतों के साथ दायर की गई है:

“(i) प्रतिपक्षी संख्या 1 से 5 को निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे प्रतिपक्षी संख्या 6 अर्थात् राम सिया पुत्र रामहित, जो वर्तमान में प्रयागराज के पीडब्लूडी में बेलदार के रूप में कार्यरत हैं, के शैक्षिक दस्तावेजों और सेवा अभिलेखों की जांच करें, जबकि उसकी आयु 65 वर्ष पूरी हो चुकी है और उसने जाली और हेरफेर किए गए आयु प्रमाण के आधार पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है।

(ii) प्रतिपक्षी संख्या 1 से 5 को प्रतिपक्षी संख्या 6 के विरुद्ध विधिवत विभागीय जांच शुरू करने और जाली एवं हेरफेर किए गए आयु प्रमाण के आधार पर गबन किए गए सार्वजनिक धन की वसूली करने का आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) प्रतिपक्षी संख्या 5 को दिनांक 11/12/2025 को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो दिनांक 09/05/1997 के शासकीय आदेश के अनुपालन में हलफनामे के साथ प्रस्तुत किया गया हो, साथ ही प्रतिपक्षी संख्या 6 अर्थात् राम सिया पुत्र रामहित (वर्तमान में प्रयागराज के लोक निर्माण विभाग में बेलदार के रूप में कार्यरत) का आयु प्रमाण भी प्रस्तुत किया गया हो।”

3. श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि यह रिट याचिका विचारणीय नहीं हो सकती क्योंकि यह शिकायतकर्ता की याचिका है। हालांकि, उन्होंने निवेदन किया कि यदि कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो इस संबंध में वही निर्णय लिया जाएगा।

4. बार में प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है और प्रतिपक्षी संख्या 1 से 5 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद प्रतिपक्षी संख्या 6 के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त करने की छूट दी जाती है।

5. इस आदेश के पारित होने से याचिकाकर्ता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

27 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)